बिहार सरकार,
पर्यावरण एवं वन विभाग।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।

निविदा सूचना
सं० 07/2017–18

1. विभाग का नामः पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार।
2. विज्ञापनदाता का नाम एवं पताः निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।
3. परिमाण विपत्र की बिक्री की तिथि एवं समयः 11.12.2017 को 5.00 बजे अपराह्न तक।
4. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समयः 12.12.2017 को 2.00 बजे अपराह्न तक।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समयः 12.12.2017 को 3.00 बजे अपराह्न तक।

क्र. सं.	कार्य का नाम	परिमाण विपत्र का मूल्य
1	संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, के शिशु उद्यान में (1) मिक्की माउस आकार के Bouncing Jhula तथा (2) ट्रैम्पोलीन जम्पिंग गोलाकार झूला (साईज 12' x 12') की स्थापना एवं संचालन।	रू० 100/– (एक सौ) प्रति।
2	उद्यान में दर्शकों का फोटो खींचकर तुरत उपलब्ध कराने हेतु फोटोग्राफी।	रू० 100/– (एक सौ) प्रति।

निविदा के नियमों, शर्तों एवं विशेष जानकारी के लिये अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्यावधि में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा वेबसाईट 'www.forest.bih.nic.in'. पर देखा जा सकता हैं।

(कमलजीत सिंह)
निदेशक।

पैसे के बल पर काम कराना, अपराध है। काम सही हो तो मुफ्त होगा।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, के शिशु उद्यान में (1) मिक्की माउस आकार के Bouncing Jhula तथा (2) ट्रैम्पोलीन जम्पिंग गोलाकार झूला (साईज 12' x 12') की स्थापना एवं संचालन के लिए निर्धारित शर्तें।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, के शिशु उद्यान में चिन्हित स्थान पर निविदा स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए (1) मिक्की माउस आकार के Bouncing Jhula तथा (2) ट्रैम्पोलीन जम्पिंग गोलाकार झूला (साईज 12' x 12') लगाने एवं संचालन हेतु दिनांक 12–12–2017 के 2.00 बजे अपराह्न तक निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में निविदा आमंत्रित किए जाते हैं। इसके लिए निर्धारित शर्तें निम्नवत् होंगीः–

1. निविदा का शर्त एवं प्रपत्र निदेषक कार्यालय से रूपये 100/– (रूपये एक सौ) प्रति की दर से दिनांक 11–12–2017 के 5.00 बजे अपराह्न तक कार्यालय कार्यावधि में प्राप्त किये जा सकते हैं। प्रपत्र का मूल्य अप्रत्यर्पणीय होगा।

2. निविदाकर्त्ता, निविदा–प्रपत्र में सरकार को दिए जाने वाले प्रतिमाह राजस्व का उल्लेख Bouncing Jhula तथा (2) ट्रैम्पोलीन जम्पिंग झूला के लिए अलग–अलग एवं साफ–साफ अक्षरों में करेंगे।

3. प्राप्त निविदा दिनांक 12–12–2017 को 3.00 बजे अपराह्न में निविदादाताओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष निदेशक कार्यालय में निविदा समिति द्वारा खोली जायेंगी। यदि कोई निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय उपस्थित नहीं होते हैं तब भी प्राप्त निविदा मान्य समझा जायेगा।

4. निविदाकर्त्ता को अपनी निविदा के साथ रू० 20,000/– (बीस हजार रूपये मात्र) का सत्यंकार राषि जमा करना होगा जो बैंक ड्राफ्ट के रूप में निदेषक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में होगा। सषर्त, त्रुटिपूर्ण अथवा बिना सत्यंकार राषि के निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी। असफल निविदाकर्त्ता की सत्यंकार राषि निविदा के अन्तिम निर्णय के दो सप्ताह के अन्दर वापस कर दी जायेगी।

5. सफल निविदाकर्त्ता को निविदा की स्वीकृति की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर रू० **1000/– (एक हजार रूपये)** के नन्जूडिसियल स्टाम्प पेपर के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर एकरारनामा (एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करना होगा तथा निविदा अवधि की कुल राशि की 10% (दस प्रतिशत) राशि जमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी। जमानत की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के एस०टी०डी०आर० के रूप में होगा जो निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, के पदनाम से प्लेज्ड होना चाहिये। यदि सफल निविदाकर्त्ता जमानत की राशि समय पर जमा नहीं करते हैं तो उनके द्वारा जमा सत्यांकार राशि राज्यसात कर ली जायेगी।

6. सफल निविदादाता को अपना मिक्की माउस आकार का Bouncing Jhula एवं ट्रैम्पोलीन जम्पिंग गोलाकार झूला शिशु उद्यान के चिन्हित स्थान पर लगाना होगा।

7. एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने, जमानत राशि एवं एक माह की अग्रिम राशि जमा करने के उपरान्त ही सफल निविदादाता को मिक्की माउस आकार का Bouncing Jhula तथा (2) ट्रैम्पोलीन जम्पिंग गोलाकार झूला (साईज 12' x 12') शिशु उद्यान में चलाने की अनुमति दी जायेगी। यदि सफल निविदादाता जमानत की राशि तथा एक माह का अग्रिम राशि निर्धारित समय पर जमा करने एवं एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहते हैं तो निविदा रद्द कर अग्रधन की राषि राज्यसात कर ली जायेगी।

8. सभी वैधानिक करों का भुगतान सफल निविदादाता को अलग से करना होगा जिसकी जिम्मेवारी निविदादाता की होगी।

कृ०पृ०उ०

9. सफल निविदादाता को प्रत्येक माह 10 तारीख तक अधोहस्ताक्षरी के पदनाम का बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अग्रिम राशि जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा मासिक शुल्क का 3% दण्ड शुल्क जोड़कर भुगतान करना होगा। यह दंड वृध्यात्मक (incremental) होगा जिसकी वृद्धि प्रत्येक माह 10 तारीख के बाद स्वतः हो जाएगी।

10. जमानत राशि को राज्यसात करने तथा स्वीकृत निविदा को रद्द करने का पूरा अधिकार निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को होगा। इसके अतिरिक्त यदि निविदादाता के विरूद्ध सरकार का कोई बकाया रह जाता है तो नीलाम—पत्र मुकदमा दर्ज कर ब्याज सहित राशि की वसूली की कार्रवाई की जायेगी।

11. सफल निविदादाता को चिन्हित स्थल साफ—सुथरा रखना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो हर बार न्यूनतम रू० 1000/— (एक हजार) जुर्माना के भागी होंगे एवं इसके संबंध में निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं निविदादाता को मान्य होगा।

12. संचालक को झूला संचालन में खपत किए गए बिजली का भुगतान अलग से सरकार द्वारा निर्धारित दर पर करना होगा। इसके लिए वे सब—मीटर लगवायेंगे। सब—मीटर नहीं लगवाने की स्थिति में निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान करना होगा।

13. झूला संचालक को यह अधिकार होगा कि उपर्युक्त बाउसिंग झूला एवं ट्रैम्पोलिंग झूला का उपयोग करने वाले शिशु से 10 मिनट की अवधि के लिए रू० 10/— (दस रूपये) प्रति झूला प्रति षिषु की दर से राशि वसूल कर सकेंगे। टिकट पर स्पष्ट रूप से समय का वर्णन होगा। स्थल पर एक बड़े आकार का घड़ी भी सफल निविदाकर्त्ता के द्वारा रखा जाएगा।

14. निविदादाता अपने निविदा के साथ आवासीय प्रमाण—पत्र, फोटोयुक्त पहचान—पत्र तथा अभिप्रमाणित हस्ताक्षर समर्पित करेंगे।

15. झूला संचालक को **एक बड़े साईज के पट्ट पर (2' x 3' आकार का) दर तालिका लगाना होगा जिसपर** इस शर्त की कंडिका—13 में दर्शाया गया दर साफ—साफ अंकित रहना चाहिये।

16. संचालक, झूला संचालन के लिये टिकट स्वंय छपवायें एवं बेचेंगे। संचालक अधिकतम दो व्यक्ति को झूला संचालन के लिए रख सकते हैं जिनका पूरा पता निदेशक कार्यालय में समर्पित करेंगे तथा उनके प्रत्येक गतिविधि की जिम्मेवारी संचालक पर होगी तथा उक्त व्यक्ति का पहचान—पत्र (दो प्रति में) झूला संचालक को निर्गत करना होगा। पहचान—पत्र की एक प्रति संबंधित व्यक्ति के पास तथा दूसरी प्रति वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वनस्पति प्रक्षेत्र के पास रहेगी।

17. निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, को निविदा की शर्तो के उल्लंघन के आरोप में अथवा एक माह के अग्रिम सूचना पर बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

18. किसी कारणवश यदि झूला का संचालन बंद रहता है तो इसका प्रभाव निविदा के स्वीकृत दर को प्रभावित नहीं करेगा और प्रत्येक माह की पूरी राशि संचालक भुगतान करेंगे।

19. निविदा प्रपत्र में निविदादाता इस बात को प्रमाणित करेंगे कि उन्होंने निविदा के सभी शर्तो को पढ़ा/पढ़वाया और समझा है तथा वे सभी शर्तो को स्वीकार करते हैं।

20. निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी भी निविदा को अस्वीकृत कर दें।

21. किसी विवाद का निर्णय स्थानीय न्याय क्षेत्र पटना होगा।

निदेशक,
संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।

निविदा–प्रपत्र 'ख'

वित्तीय बिड

निविदा का विवरण :– संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, के शिशु उद्यान में (1) मिक्की माउस आकार के Bouncing Jhula तथा (2) ट्रैमपोलीन जम्पिंग गोलाकार झूला (साईज 12' x 12') की स्थापना एवं संचालन।

निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि एवं समय। – 12–12–2017 – 2.00 बजे अपराह्न तक।

निविदा खोलने की तिथि एवं समय। – 12–12–2017 – 3.00 बजे अपराह्न से।

प्रेषक,

नामः–

पिता का नामः–

पत्राचार का पताः–

दूरभाष / मोबाईल संख्या–

सेवा में,

निदेशक,
संजय गाँधी जैविक उद्यान,
पटना।

महाशय,

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के शिशु उद्यान में 1) मिक्की माउस आकार के Bouncing Jhula तथा (2) ट्रैमपोलीन जम्पिंग गोलाकार झूला (साईज 12' x 12') की स्थापना एवं संचालन हेतु मैं निम्नांकित दर अर्पित कर रहा हूँ।

क्रमांक	झूला का नाम	अर्पित दर प्रतिमाह	
		अंक में।	शब्द में।
1	मिक्की माउस आकार के Bouncing Jhula		
2	ट्रैमपोलीन जम्पिंग गोलाकार झूला (साईज 12' x 12')		

2– मैंने निविदा के सभी शर्तों को पढ़ा/पढ़वाया और समझा है तथा मैं सभी शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

आपका विश्वासी,

अनुलग्नकः– 1– बैंक ड्राफ्ट सं०
2– फोटोयुक्त पहचान–पत्र
2– आवासीय प्रमाण–पत्र।
3– अभिप्रमाणित हस्ताक्षर।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, के शिशु उद्यान में मिक्की माउस आकार का बाउंसिंग झूला तथा ट्रैम्पोलीन जम्पिंग गोलाकार झूला का संचालन।

प्रपत्र 'क'

तकनीकी बिड

क्रमांक	तकनीकी सूचना	निविदार्त्ता द्वारा समर्पित सूचना	पृष्ठ संख्या
1	निविदादात्ता द्वारा क्रय किए गए निविदा प्रपत्र से संबंधित मनी रसीद की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।		
2	निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, के पदनाम में रू० 20,000/–(रूपये बीस हजार) के अग्रधन राशि (सत्यंकार राशि) का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट।		
3	पता और पहचान–पत्र से संबंधित स्वःअभिप्रमाणित प्रमाण–पत्र। मूल प्रमाण–पत्र निविदा खोलने के समय प्रस्तुत करेंगे।		
4	राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हस्ताक्षर।		
5	सरकारी/गैर सरकारी संस्थान के काली सूची में निविदादाता का नाम दर्ज होने/न होने संबंधी घोषणा–पत्र।		

निविदाकर्त्ता का हस्ताक्षर

पूरा पताः–

घोषणा–पत्र

मैं.. पिता का नाम..ग्राम...... .... पो० .... थाना.. जिला......................... ......घोषणा करता हूँ कि मैं .... (विभाग/कार्यालय का नाम) में .... से .... अवधि तक के लिए .... संचालक हूँ/था तथा उस विभाग/कार्यालय अथवा किसी भी कार्य के लिए किसी सरकारी विभाग/कार्यालय द्वारा मुझे कृष्णचिन्हित किया/नहीं किया गया है।

निविदाकर्त्ता का हस्ताक्षर

तिथिः–